

## विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

दिसम्बर-2012

### शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)33/11	श्री वृजनन्दन प्रसाद को सेवानिवृत्त के पश्चात भी पावनाओं का भुगतान नहीं होने के संबंध में शिकायत ।	21.12.2012	उपायुक्त कोडरमा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय का भुगतान कर दिया गया है के आलोक में परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)15/09	मो० गोलाप हुसैन प्रधानाध्यापक उत्कर्मित मध्य विद्यालय सितेशनगर द्वारा फर्जी निवास प्रमाण पत्र देकर लगभग 25 सालो से गैरकानूनी ढंग से नौकरी करने के संबंध में मो० अफजरूलहक एवं अन्य का शिकायत ।	04.12.2012	उपायुक्त पाकुड़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा)10/2012	श्री प्रदीप कुमार चौबे, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक राँची पर मनमानी तथा अनियमितता का आरोप से संबंधित श्री नीरज कुमार राँची का परिवाद ।	04.12.2012	प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद किसी छदम् व्यक्ति द्वारा गलत पता देकर किया गया है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(प्र.शिक्षा) 09/09	श्री मधुसुदन चौधरी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्रद्धानन्द सेवाश्रम मध्य विद्यालय रातु रोड राँची वरीय वेतन निर्धारण के संबंध में ।	10.12.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के शिकायत का निवारण होने के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(शिक्षा)07/12	श्रीमती गीता प्रमाणिक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गम्हरिया सरायकेला का	10.12.2012	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार माननीय लोकायुक्त के

		बकाया सेवान्त लाभ के संबंध शिकायत ।		त्वरित कार्रवाई के पश्चात परिवादीनी के शिकायत का निवारण होगया । अतः परिवाद को बन्द बर दिया गया ।
6.	02/लोक(शिक्षा)06/12	अनिता देवी के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा उन्हें बकाया पेंशन के संबंध में शिकायत ।	21.12.2012	परिवादीनी ने पूर्व में ही इसी परिवाद पर माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में वद सं. W.P.(S)-1428/2004 दर्ज किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खरिज कर दिया है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)01/12	श्री रामा शंकर राम तत्कालिन भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अन्य पर अनुसूचित जाति के जमीन को गलत ढंग से बिक्री की अनुमति देने के संबंध में लम्बोदर महतो सरायढेला, धनबाद का परिवाद ।	19.12.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)01/12	श्री देना बास्की सेवा निवृत्त कर्मचारी अंचल कार्यालय जामताड़ा द्वारा पूर्ण पेंशन प्राप्त नहीं होने के कारण अंचलाधिकारी जामताड़ा के विरुद्ध शिकायत ।	04.01.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)14/12	दाखिल खारिज रसीद में सुधर नहीं करने तथा अवैद्य रिश्वत की मांग करने के कारण टाल मटोल करने के संबंध में श्री अर्जुन साव, बरही हजारीबाग का शिकायत ।	10.12.2012	उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवाद सब-जज-1 हजारीबाग के न्यायालय में लम्बित है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

## पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पुलिस) 126/05	जसीडिह तथा देवघर के थाना प्रभारियों पर हत्याकाण्ड का मामला दर्ज नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के संबंध में श्रीमती रंजिता देवी जससीडिह का शिकायत ।	28.02.2012	पुलिस अधीक्षक देवघर से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के मामले में पुलिस द्वारा गहन जांच कराया गया तथा जांचोपरान्त मामला हत्या का न होकर एक दुर्घटना मात्र का पता चला । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)04/08	श्री दामोदर पाण्डेय, सेवानिवृत्त आरक्षी दुमका जिलाबल का बकाया पेंशन की राशि रू० 7245/- तथा कालबद्ध पदोन्नति का लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परिवाद ।	08.01.2013	परिवादी को सभी बकाये राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(पुलिस)13/11	श्री अवधेश कुमार सिंह सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक लेसलीगंज पलामू के सेवानिवृति के उपरांत वर्षों तक सेवा संबंधि पावनाओं के भुगतान नहीं कर मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।	19.12.2012	संबंधि विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के देय पावनाओं के लिए महालेखाकार झारखण्ड को पत्र भेजा जा चुका है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
4.	02/लोक(पुलिस)20/12	लापता मुक बधिर पुत्र को खोज करने गई माँ के साथ संबंधित सकूल प्रबंधन के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से बालात्कार करने एवं इसकी प्राथमिकी को रफा दफा करने के संबंध में जैनब बीबी गोड्डा का शिकायत ।	21.12.2012	परिवादीनी द्वारा परिवाद के संबंध में महिला थाना धनबाद में केस सं. 03/12 धारा 376/379 भा.ड. वि. के तहत दर्ज कराया गया है तथा उसमें जांच प्रक्रियाधीन है अतः इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द का दिया गया ।

## ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा.वि.वि.)03/11	चौपारण प्रखण्ड के करमा पंचायत के वृन्दावन गांव में वर्षों से चलाए जा रहे योजनाओं में भारी गड़बड़ी भ्रष्टाचार के चलते एक ही रोड़ पर बार बार योजना चलाए जाने के संबंध में श्री सुखदेव प्रसाद का शिकायत ।	19.12.2012	विकास आयुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त के द्वारा बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(ग्रा.वि.वि.) 22/12	इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास आवंटित करवाने के संबंध में श्री प्रभात चन्द्र डे, साहेबगंज का शिकायत ।	19.12.2012	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को इन्दिरा आवास आवंटन करा दिया गया इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(ग्रा.अ.सं)03/07	सरायकेला खरसांवा जिलीा के निमडीह प्रखण्ड अन्तर्गत मौजा बाँधडीह आर.ई.ओ. सड़क से बाँधडीह तक ग्रेड एक पथ निर्माण में अनियमितता के संबंध में श्री कार्तिक सिंह सरदार तथा अन्य के शिकायत ।	19.12.2012	उपायुक्त सरायकेला खरसांवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में परिवाद अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

## उद्योग विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(उद्योग)02/12	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पेंशन व लंबित देय भुगतान के संबंध में श्री प्रकाश अल्डा आश्रित पुत्र स्व० प्रधान अल्डा, पदचर द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र ।	19.12.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्यानिक देय का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया है तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा0)07/12	श्रीधर विश्वकर्मा सेवानिवृत्त निगरानी कार्यकर्ता, जिला मलेरिया पदाधिकारी दुमका का कार्यालय का सेवान्त लाभ के संबंध में ।	04.12.2012	जिला मलेरिया पदाधिकारी दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(वन)04/2012	श्री ए. के. सिंह(भा.व.से.), PCCF एवं अन्य 08 अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग, गबन, एवं व्याप्त कुप्रशासन के संबंध में परिवादी श्री जगदीश पाण्डेय से प्राप्त शिकायत ।	01.12.2012	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)04/12	प्रोन्नति एवं सुपर टाईम स्केल से वंचित करने के संबंध में श्री साधुशरण लाल सेवा निवृत्त वनपाल कोडरमा का शिकायत ।	05.12.2012	संयुक्त सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समुचित आदेश नियोक्ता अधिकारी वन संरक्षक हजारीबाग द्वारा पारित किया जा चूका है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विद्युत)01/1 2	बढ़े हुए दर से पेंशनादि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री परेश चन्द्र कुईला घाटशीला से प्राप्त परिवाद ।	19.12.2012	कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल घाटशीला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को पुनरीक्षित पेंशन का निर्धारण कर 2,76,000/रु० का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के पश्चात होगया । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

## सिंचाई विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(सिंचाई)83/05	झारखण्ड सरकार सिंचाई विभाग के भ्रष्टतम मदन राय कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास प्रमंडल देवघर द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रह , घूस में रूप्ये लेकर रिश्वतखोरी कर आय से अधिक ज्ञात स्रोत से आठ करोड़ रूपये का अवैद्य धनार्जन करने भ्रष्ट आचरण के लिए सी० बी० आई० प्राथमिकि में तुरंत गिरफ्तार करने के संबंध में श्री कृष्णा ठाकुर एवं अन्य गिरिडीह का परिवाद ।	07.12.2012	पुलिस निरीक्षक निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त के द्वारा बन्द कर दिया गया ।

## विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(विविध)15/05	निलाम पत्र पदाधिकारी राँची के विरुद्ध आरोप ।	21.12.2012	परिवाद के संबंध में मंत्रीमंडल निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अलोक में परिवाद के संबंध में कोई जांच लम्बित नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विविध)01/07	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी माण्डर जिला राँची द्वारा ग्राम प्रधान एवं कोषाध्यक्ष ग्राम चुन्द थाना माण्डर के विरुद्ध की गयी शिकायतों का जांच नहीं किये जाने के संबंध में श्री अकलेश सिंह एवं अन्य 13 सभी माण्डर राँची से प्राप्त शिकायत ।	10.12.2012	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद के जांच के क्रम ग्रामिणों द्वारा किसी प्रकार की परिवाद दाखिल करने की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(नगर वि.)01/12	हजारीबाग नगरपालिका में बकाये बिल राशि के भुगतान के संबंध में सुरजीत सिंह हजारीबाग से प्राप्त शिकायत ।	26.12.2012	सचिव नगर विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद के बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया तथा दोषी लोकसेवको के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(न.वि.वि.)01/11	डा० विश्वनाथ प्रसाद रामनगर हजारीबाग द्वारा सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	29.12.2012	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के ग्रेच्युटि तथा उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान तथा पेंशन का भुगतान नवम्बर 2011 तक का कर दिया गया है तथा रूके हुए पेंशन का चालु करने हेतु उपायुक्त के द्वारा कार्रवाई की जा रही है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(श्र.नि.प्र.)01/12	श्री राधिका रमण पाटन का भ्रष्टाचार के कारण सेवा नियमित नहीं किये जाने के संबंध में ।	24.12.2012	श्रमायुक्त झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सेवा झारखण्ड सरकार के नियमानुसार नियमित नहीं किया जा सकता है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## शिकायत / परिवाद

दिसम्बर, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 26/12	मोहरिर योगेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध असंवैधानिक तरिके से धन कमाने के संबंध में श्री शेर मोहम्मद खॉन हजारीबाग का आरोप ।	19.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं० 780/12	सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में पंकज कुमार शर्मा गिरिडीह का शिकायत ।	20.12.2012	शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः उससे इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
3.	शिकायत सं० 767/12	स्व० बिधान कृष्ण निओगी की विधवा मो० विभा राणी निओगी को न्यूनतम मूल पारिवारिक पेंशन भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत ।	22.12.2012	पुनरिक्षीत पेंशन का निर्धारण संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है अतः परिवादी को केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र से इस संबंध में संपर्क करना चाहिए । अतः



				परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं0 764 / 12	श्री मनोज कुमार अम्बष्ट अधिवक्ता द्वारा प्रताड़ित करने एवं विकलांगता पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री दयानन्द प्रसाद गुप्ता मेहरमा, गोड्डा का शिकायत ।	07.12.2012	यह शिकायत किसी सरकारी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
5.	शिकायत सं0 734 / 12	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड गिरिडीह प्रमंडल द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में ।	07.12.2012	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस प्रकार के शिकायत का निराकरण उपलब्ध है । अतः शिकायत पोषणीय नहीं है ।
6.	शिकायत सं. 754 / 12	पारिवारिक पेंशन के रूप में मात्र 2396 रुपये मिलने के संबंध में श्रीमति रुकिमणी देवी मुरहू, खूँटी का शिकायत ।	07.12.2012	यह शिकायत सरकार के नितिगत फ़ैसलों से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं0 739 / 12	जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री हीरालाल दास एवं अन्य जसीडिह का परिवाद ।	28.12.2012	परिवाद दो लोगों का निजी मामला रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं0 808 / 12	अवैद्य चकबन्दी कर राशि वसूली के संबंध में सेदेश्वर सिंह चतरा का शिकायत ।	20.12.2012	परिवाद दो लोगों का निजी मामला रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं0 76 / 12	नोआमुण्डी लौह-अयस्क माईन्स मे खूला भ्रष्टाचार के संबंध में मुण्डा मानकी संघ का शिकायत ।	20.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं0 569 / 12	गलत ढंग से M/S C & C Construction Ltd. कंपनी को खनन पट्टा आवंटित कर राजस्व के नुकसान के संबंध में श्री ईश्वर दयाल सिंहा, आनन्दगंज, पलामू का परिवाद ।	01.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 430 / 12	अजीज कुजूर के घर के रास्तों को बंद कर परेशान करने के मकसद से तत्कालिन ग्रामिण S.P. मोहम्मद नेहाल द्वारा झूठी F.I.R. दर्ज करवाने के संबंध में	19.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

12.	शिकायत सं. 494 / 12	प्रतिमा देवी के साथ मार-पीट करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के संबंध में ।	19.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 742 / 12	विज्ञापन सं. 01 / 2010 के पुलिस नियुक्ति में असफल होने की कारणों की जांच कराने के संबंध में श्री अजीत नाग , हजारीबाग का शिकायत ।	19.12.2012	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 777 / 12	दहेज की मांग करने वाले आरोपी को ईटखोरी थाना के दारोगा के द्वारा संरक्षण देने के संबंध में शबनम नजाम का शिकायत ।	21.12.2012	यह परिवाद पूर्व में ही कुटुंब न्यायालय में लम्बित है तथा परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 729 / 12	मंडल कारा गिरिडीह के अधीक्षक के सह पर वार्ड इंचार्ज द्वारा बंदियों से घूस मांगने के संबंध में श्री गणेश कुमार वर्मा धनबाद का शिकायत ।	28.12.2012	परिवाद पूर्व में सक्षम न्यायालय में प्रक्रियाधीन है अतः परिवाद में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 778 / 12	परिवादी का घर जमीन कब्जा करने की नियत रखने वाले आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री सुधीर कुमार साह का शिकायत ।	21.12.2012	यह परिवाद दो लोगों का अचल सम्पत्ति से संघित निजी मामला जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 765 / 12	कैलाश प्रसाद निवासी बोरिया साहेबगंज का सुरक्षा प्रहरी की मांग हेतु आवेदन ।	21.12.2012	शिकायत किसी लोकसेवक के भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं रहने के कारण इस कार्रवाई संभव नहीं है ।
18.	शिकायत सं. 321 / 11	श्री स्वरूप मंडल सेवानिवृत्त शिक्षक का 1976 के पूर्व का भविष्यनिधि जमा राशि गुगतान नहीं होने के संबंध में शिकायत ।	21.12.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अलोक में परिवादी के परिवाद निरकरण होजाने के प्श्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया ।
19.	शिकायत सं. 373 / 12	श्री गोपाल कृष्ण किस्कू , सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय बाड़ाघाट, मूसाबनी, पूर्वी सिंहभूम का वरीय वेतनमान नहीं होने के संबंध में ।	04.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

20.	शिकायत सं. 445 / 12	श्री सुशील कुमार जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम एवं कार्यालय सहायकों पर प्रताड़ित करने का आरोप से संबंधित श्री अजित कुमार चौधरी, पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	10.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 752 / 12	निबंधन कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के दलाल विश्वनाथ अग्रवाल तथा दिनु अग्रवाल पर कार्रवाई के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह, जुगसलाई, जमशेदपुर का शिकायत ।	10.12.2012	यह शिकायत दो प्राईवेट लोगों के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पत्र पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं. 334 / 12	श्री श्याम बिहारी राम, प्रतिनियोजित प्रधान लिपिक , जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गढ़वा पर अनाधिकृत प्रतिनियोजन का आरोप से संबंधित श्री राम प्रवेश राम गढ़वा का शिकायत ।	29.12.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।